THE CULTURAL EXCHANGE PROGRAMME BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF TURKEY FOR THE YEARS 2017-2020

The Government of the Republic of India and the Government of the Republic of Turkey (hereinafter referred to as the Parties);

Pursuant to the provisions of Article 10 of the Cultural Agreement signed between the Government of the Republic of Turkey and the Government of the Republic of India, on 29th June 1951;

Desiring to strengthen and deepen the ties of friendship between their countries and peoples through exchanges and cooperation; by promoting the understanding in each of their respective countries of the main traditions, achievements and vocations of the other Party in the fields of culture and arts; youth and sports and mass media,

Aiming to join efforts, wherever possible, in particular for concrete projects, within the framework of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) and of other relevant international organizations,

Have agreed the following programme for the implementation of their Cultural Agreement:

ART AND CULTURE

Article 1

The Parties shall exchange theatre, opera and ballet artists and experts in the areas of acting, design and literature to conduct training programmes and to meet and interact with experts through joint seminars. The Parties shall exchange orchestras, choirs and group artists.

Article 2

The Parties shall exchange information regarding international theatre festivals, celebrations and various cultural activities to be organized in their respective countries. They shall also mutually encourage the participation of directors, artists and theatre groups in the festivals to be organized in their respective countries.

Article 3

The Parties shall exchange faculty and students between the similar theatre institutes of each other's country.

Article 4

Both Parties shall support the strengthening of relations among publishers and associations in the field of book publishing, promote the translation of literary works of their eminent authors and poets, and exchange information about the organization of book publishing and trade in the two countries.

Article 5

The Parties shall support the translation of their classical and contemporary literary works with the aim of developing respectively the awareness and understanding of their literature and culture, as well as mutually promoting their programmes to support translation.

Article 6

The Parties will exchange children's paintings. The participation of children from Turkey in the Shankar's International Children's Competition shall be facilitated. In the same manner, children from India shall be invited to similar competitions in Turkey.

Article 7

The Indian side shall send an exhibition of contemporary art of senior level artists duly curated and accompanied by two experts and receive an exhibition of Turkish culture accompanied by two experts for a period of one week. Both Parties' exhibitions shall consist of non-historical works.

Article 8

The Parties shall exchange an exhibition of non-historical art consisting 30 works of 15 artists for a period of 10 days accompanied by two officers on reciprocal basis. During this period, the host country shall arrange slide lectures of the accompanying persons in relevant institutions/organizations. The Parties shall provide the insurance of the exhibits estimated by experts.

Article 9

The Parties shall exchange an exhibition of contemporary art on reciprocal basis.

Article 10

The Parties will exchange books, journals, microfilms of archival sources to help scholars on their respective fields of research. To this end, the national archive administrations of the two Parties will promote their international practices for signing a separate Cooperation Protocol.

Article 11

The Parties shall promote direct contacts and cooperation between the National Libraries of the two countries, namely the National Library of Turkey and the National Library of India, for the purpose of exchanging information materials and other publications as well as microfilms of manuscripts to enrich their collections, so far as provided by their respective national legislation.

Article 12

The Parties shall encourage exchange of experts in the field of librarianship between their public libraries and invite experts to book fairs organized in their respective countries.

Article 13

Both Parties shall mutually invite two expert librarians every year and shall exchange scientific publications, source and documentation between their countries' libraries.

Article 14

The Parties shall strive to establish a "Turkish Library Section" in a central public library in India and an "Indian Library Section" in a central public library in Turkey.

Article 15

The Parties will facilitate exchange of cultural Anthropologists.

Article 16

The Parties shall cooperate in the fields of archaeology, history of arts, museology and restoration of historical works, and they shall exchange publications and experts in these fields.

Article 17

The Indian side shall exchange books, scholars and materials with museums in Turkey for joint survey, documentation, translation and dissemination of objects, sites and sources of mutual interest on the artistic, literary and historical heritage of India and Turkey.

Article 18

The Parties shall cooperate in preventing illegal trafficking of cultural heritage and shall take all the necessary measures within the framework of related covenants of UNESCO and other international covenants and agreements to which they are a party.

Article 19

In order to achieve a better acquaintance between the countries, activities promoting cultural tourism shall be supported and essential promotional events shall be organized.

MEDIA

Article 20

The Parties shall endeavour to exchange journalists including those engaged in dissemination of information related to government activities.

Article 21

The Parties shall encourage cooperation between their respective News Agencies, namely Anadolu Agency (A.A.) and United News of India (UNI).

Article 22

The Parties shall organize film weeks and participate in film festivals/expositions organized in their respective countries.

MISCELLANEOUS

Article 23

All provisions and activities laid down in this programme shall be carried out through diplomatic channels and in accordance with the rules and regulations of the host country.

Article 24

The provisions of the present Programme shall not preclude the two Parties from agreeing, through diplomatic channels, on other arrangements which they may deem desirable.

Article 25

The attached Annexes containing general and financial conditions of exchange in accordance with the present Programme constitute an integral part of this Programme.

Article 26

This Programme shall enter into force on the thirtieth day following the date of receipt of last note by which the Parties, informing each other through diplomatic channels that the necessary national formalities have been completed for entry into force of this Programme.

This Programme shall remain in force for a period of 4 years. It shall be renewed automatically for successive periods of 1 year, unless one of the Parties

and the commence of the professional and the commence of the c

notifies the other in writing through diplomatic channels of its intention to terminate the Programme 3 months prior to its expiration.

The Parties may convene a Joint Commission on a rotational basis if and when deemed necessary. Any amendment mutually agreed upon by the Parties in writing, shall enter into force according to the same procedure prescribed under paragraph one of this Article.

Done in New Dethi on 15t May 2017. in two original copies each in Turkish, Hindi and English languages, all the texts being equally authentic. In case of divergence in interpretation, the English text shall prevail.

On Behalf of the Government of the Republic of India

On Behalf of the Government of the Republic of Turkey

Name: Dr. Mahesh Sharma

Designation: Minister of State(IC)

Culture

Name: Nabi Avcl

Designation: Minister of Culture

and Tourism

GENERAL AND FINANCIAL PROVISIONS

A. EXCHANGE OF INDIVIDUALS/DELEGATIONS

- 1. Each Party will send to the other Party bio-data (including languages spoken) and proposed itinerary at least three months in advance of the expected date of visit of the delegation(s)/individual(s) selected under this Programme.
- 2. The receiving Party shall communicate the acceptance or otherwise of the proposal within one month after the receipt.
- 3. After the receiving Party conveys its acceptance, the sending Party shall inform the receiving Party at least four weeks in advance of the exact mode and time of arrival of the person(s).
- Persons invited should know either the language of the receiving Party or English.
- 5. The Parties shall extend facilities to delegation(s)/individual(s) sent from the other country to get acquainted with the culture and life of the host country.
- 6. In case of unexpected illness of visitors, the receiving Party shall provide free medical treatment in its state hospitals except for long-term treatment, chronic diseases, major surgical operations, prosthetic dentistry and orthodontics.

B. VISITS NOT EXCEEDING ONE MONTH (INCLUDING DELEGATIONS)

- (1) The sending Party shall cover the cost of the international airfare to and from the venue of activity (or, in case this is not feasible, the nearest city accessible by international air transport).
- (2) The receiving Party shall offer:
 - Internal travel including suitable local transport in accordance with the programme of visit(s).
 - Suitable free accommodation.
 - Suitable free board.

C. VISITS EXCEEDING ONE MONTH

In case of visits exceeding one month, the Parties shall agree upon financial terms in each case separately.

D. ENSEMBLES

- 1. The proposals concerning the exchange of performing ensembles shall be made through diplomatic channels at least nine (9) months in advance. The receiving Party shall respond to the proposal within two (2) months after having received the proposals.
- 2. The sending Party will cover travel costs of ensembles and transportation costs of their requisites to the first destination in the receiving country and back.

- 3. The receiving Party shall cover the costs related to boarding and lodging as well as internal travel of the ensembles exchanged.
- 4. In case of unexpected illness of members of ensembles, the receiving Party shall provide free medical treatment in its state hospitals except for long-term treatment, chronic diseases, major surgical operations, prosthetic dentistry and orthodontics.
- 5. The sending Party will provide the receiving Party with the relevant information concerning the ensembles, programmes, press material, date of arrival and departure etc. at least four (4) months in advance.
- 6. However, variations from the above may be decided by the organization of these exchanges by advance mutual agreement.

E. EXCHANGE OF MATERIALS AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHT

The Parties have the right to use the materials exchanged in the fields of information, radio and television in its own programme, however the receiving Party may not give to a third party. The sending Party shall be responsible for the transportation expenses of the materials exchanged.

The Parties pledge to protect the exchanged material in accordance with their national legislation as well as international agreements to which they are a Party to, in order not to infringe the intellectual property rights of their owners

F. EXHIBITIONS

- 1. The sending Party shall cover the international transportation costs connected with the transportation of the exhibits to the first destination in the receiving country and back to the first destination in the sending country from the last place of exhibition in the receiving country.
- 2. The receiving Party shall over the costs connected with the transportation of the exhibits to other places within its territory.
- 3. The receiving Party shall ensure at its own expense the installation of the exhibition and its propagation including preparations of the catalogues, brochures, etc.
- 4. The sending Party shall cover the cost of insurance for the period that the exhibition is out of its country. In case that the sending Party suffers any loss or damages to the exhibits, the receiving Party shall be obliged to get all the documents relating to the loss or enable the sending Party to claim compensation from the insurance. The costs connected with the acquisition of the above mentioned documents are to be covered by the receiving Party.
- 5. The receiving Party will ensure that proper interest is shown for the exhibition and general care of it is taken.

6. If the exhibition is sent to a third country, the costs connected with the transportation are not to exceed the expected expenses for its transportation to the sending country.

वर्ष 2017-2020 के लिए भारत गणराज्य की सरकार और तुर्की गणराज्य की सरकार के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम

भारत गणराज्य की सरकार और तुर्की गणराज्य की सरकार (जिन्हें इसके पश्चात 'दोनों पक्षा' के रूप में उल्लिखित किया गया है);

दिनांक 29 जून, 1951 को तुर्की गणराज्य की सरकार और भारत गणराज्य की सरकार के बीच हस्ताक्षरित सांस्कृतिक करार के अनुच्छेद 10 के उपबंधों के अनुसरण में;

संस्कृति और कला, युवा एवं खेल तथा जनसंचार के क्षेत्रों में दूसरे पक्ष की मुख्य परम्पराओं, उपलब्धियों और वृत्तियों का एक-दूसरे के देशों में समझ-बूझ को संवर्धित करते हुए आदान-प्रदान और सहयोग के माध्यम से अपने देशों और लोगों के बीच मैत्री के संबंधों को सुदृढ़ और प्रगाढ़ करने की इच्छा से;

संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) और अन्य प्रासंगिक अंतरराष्ट्रीय संगठनों की रूपरेखा के भीतर जहां कहीं संभव हो, प्रयासों, विशेष रूप से ठोस परियोजनाओं हेतु सहयोग देने के उददेश्य से;

अपने सांस्कृतिक करार के कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित कार्यक्रमों पर सहमति प्रदान की है :-

कला और संस्कृति

अनुच्छेद - 1

दोनों पक्ष, संयुक्त संगोष्ठियों के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित करने के साथ-साथ विशेषज्ञों के साथ बैठक और संवाद करने के लिए अभिनय, डिजाइन और साहित्य के क्षेत्रों में रंगमंच, ओपेरा और बैले कलाकारों और विशेषज्ञों का आदान-प्रदान करेंगे। दोनों पक्ष, ऑर्केस्ट्रा, कोरस और समूह कलाकारों का आदान-प्रदान करेंगे।

दोनों पक्ष, अपने-अपने देशों में आयोजित किए जाने वाले अंतरराष्ट्रीय रंगमंच महोत्सवों, समारोहों और विभिन्न सांस्कृतिक कलाकारों के संबंध में सूचना का आदान-प्रदान करेंगे। दोनों पक्ष अपने-अपने संबंधित देशों में आयोजित किए जाने वाले महोत्सवों में निर्देशकों, कलाकारों और रंगमंच समूहों को भाग लेने के लिए परस्पर रूप से प्रोत्साहित भी करेंगे।

अनुच्छेद - 3

दोनों पक्ष, एक-दूसरे के देश की सहश रंगमंच संस्थाओं के बीच संकाय सदस्यों और छात्रों का आदान-

अनुच्छेद - 4

दोनों पक्ष, पुस्तक प्रकाशन के क्षेत्र में प्रकाशकों और संघों में संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए सहायता करेंगे और अपने प्रख्यात लेखकों और कवियों की साहित्यिक कृतियों के अनुवाद कार्य को संवर्धित करेंगे तथा दोनों देशों में पुस्तक प्रकाशन और व्यापार के संगठनों के बारे में सूचना का आदान-प्रदान करेंगे।

अनुच्छेद - 5

दोनों पक्ष, अपने साहित्य और संस्कृति की क्रमशः जागरूकता और सूझबूझ विकसित करने के साथ-साथ अनुवाद में सहायता के लिए अपने कार्यक्रमों को परस्पर रूप से प्रोत्साहित करने संबंधी उद्देश्य के साथ अपनी उत्कृष्ट और समकालीन साहित्यिक कृतियों के अनुवाद कार्य में सहायता करेंगे।

अनुच्छेद - 6

दोनों पक्ष, बच्चों की चित्रकलाओं का आदान-प्रदान करेंगे। शंकर अंतरराष्ट्रीय बाल प्रतियोगिता में तुर्कीं के बच्चों की भागीदारी सुविधाजनक बनाई जाएगी। इसी प्रकार, भारत के बच्चों को तुर्की में सदृश प्रतियोगिताओं में आमंत्रित किया जाएगा।

अनुच्छेद - 7

भारतीय पक्ष, दो विशेषज्ञों सिहत विधिवत रूप से प्रबंधित वरिष्ठ स्तर के कलाकारों की समकालीन कला की एक प्रदर्शनी भेजेगा और एक सप्ताह की अविध के लिए दो विशेषज्ञों सिहत तुर्की संस्कृति से संबंधित एक प्रदर्शनी की मेजबानी करेगा। दोनों पक्षों की प्रदर्शनियों में गैर-ऐतिहासिक कृतियां शामिल होंगी।

दोनों पक्ष, परस्पर आधार पर दो अधिकारियों सहित 10 दिन की अवधि के लिए 15 कलाकारों की 30 कृतियों वाली गैर-ऐतिहासिक कला पर एक-एक प्रदर्शनी का आदान-प्रदान करेंगे। इस अवधि के दौरान, मेजबान देश संगत संस्थाओं/संगठनों में शामिल व्यक्तियों के लिए स्लाइड व्याख्यानों का प्रबंध करेगा। दोनों पक्ष विशेषज्ञों द्वारा मूल्यांकित प्रदर्शों का बीमा प्रदान करेंगे।

अनुच्छेद - 9

दोनों पक्ष, पारस्परिक आधार पर समकालीन कला की एक प्रदर्शनी का आदान-प्रदान करेंगे।

अनुच्छेद - 10

दोनों पक्ष, अनुसंधान के अपने संबंधित क्षेत्रों में विद्वानों की सहायता के लिए अभिलेखीय स्नोतों से संबंधित पुस्तकों, पित्रकाओं, लघु फिल्मों का आदान-प्रदान करेंगे। इस उद्देश्य के लिए, दोनों पक्षों के राष्ट्रीय अभिलेखागार प्रशासन सहयोग संबंधी नवाचार पर हस्ताक्षर के लिए अपनी अंतरराष्ट्रीय पद्धितियों को प्रोत्साहित करेंगे।

अनुच्छेद - 11

दोनों पक्ष, अपने संबंधित राष्ट्रीय कानूनों द्वारा जहां तक उपलब्ध हो, अपने संग्रहों को समृद्ध बनाने के लिए सूचना सामग्रियों तथा अन्य प्रकाशनों के साथ-साथ पांडुलिपियों से संबंधित लघु फिल्मों का आदान-प्रदान करने के प्रयोजनार्थ दोनों देशों के राष्ट्रीय पुस्तकालयों अर्थात् तुर्की राष्ट्रीय पुस्तकालय और भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय के बीच सीधे संपर्क और सहयोग को संवर्धित करेंगे।

अनुच्छेद - 12

दोनों पक्ष, अपने सार्वजनिक पुस्तकालयों के बीच पुस्तकालयाध्यक्ष के क्षेत्र में विशेषज्ञों के आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करेंगे और अपने संबंधित देशों में आयोजित किए जाने वाले पुस्तक मेलों में विशेषज्ञों को आमंत्रित करेंगे।

अनुच्छेद - 13

दोनो पक्ष, प्रतिवर्ष दो विशेषज्ञ पुस्तकालध्यक्षों को परस्पर रूप से आमंत्रित करेंगे और अपने देशों के पुस्तकालयों के बीच वैज्ञानिक प्रकाशन, स्रोत और प्रलेखन का आदान-प्रदान करेंगे।

दोनों पक्ष, भारत में केंद्रीय सार्वजनिक पुस्तकालय में "तुर्की पुस्तकालय खंड" और तुर्की में केंद्रीय सार्वजनिक पुस्तकालय में "भारतीय पुस्तकालय खंड" स्थापित करने हेतु प्रयास करेंगे।

अनुच्छेद - 15

दोनों पक्षा, सांस्कृतिक मानवविज्ञानियों के आदान-प्रदान को सरल बनाएंगे।

अनुच्छेद - 16

दोनों पक्ष, पुरातत्व विज्ञान, कला इतिहास, संग्रहालय विज्ञान और ऐतिहासिक कृतियों के जीर्णोद्धार के क्षेत्रों में सहयोग करेंगे और इन क्षेत्रों में प्रकाशनों और विशेषज्ञों का आदान-प्रदान करेंगे।

अनुच्छेद - 17

भारतीय पक्ष, भारत और तुर्की की कलात्मक, साहित्यक और ऐतिहासिक विरासत पर संयुक्त सर्वेक्षण, प्रलेखन, अनुवाद और परस्पर हित संबंधी कलाकृतियों, स्थलों एवं स्रोतों के प्रसार के लिए तुर्की में संग्रहालयों के साथ पुस्तकों, विद्वानों एवं सामग्रियों का आदान-प्रदान करेगा।

अनुच्छेद - 18

दोनों पक्ष, सांस्कृतिक विरासत के अवैध व्यापार को रोकने में सहयोग करेंगे और यूनेस्को के नियमों तथा अन्य अंतरराष्ट्रीय नियमों एवं करारों, जिसके वे भागीदार हैं, से संबंधित रूपरेखा के भीतर सभी आवश्यक उपाय करेंगे।

अनुच्छेद - 19

दोनों पक्ष, दोनों देशों के बीच बेहतर जानकारी प्राप्त करने के लिए सांस्कृतिक पर्यटन को प्रोत्साहित करने संबंधी कार्यकलापों का समर्थन करने के साथ-साथ अनिवार्य प्रचार समारोहों का आयोजन करेंगे।

मीडिया

अनुच्छेद - 20

दोनों पक्ष, पत्रकारों के आदान-प्रदान को बढ़ावा देने का प्रयास करेंगे जिनमें ऐसे पत्रकार भी शामिल होंगे जो सरकारी कार्यकलापों से संबंधित सूचनाओं के प्रचार-प्रसार के कार्य में लगे हुए हैं।

दोनों पक्ष, अपनी-अपनी समाचार एजेंसियों नामतः अनादोलू एजेंसी (एए) और यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया (यूएनआई) के बीच सहयोग को बढ़ावा देंगे।

अनुच्छेद - 22

दोनों पक्ष, फिल्म सप्ताहों का आयोजन करेंगे और एक-दूसरे के देश में आयोजित होने वाले फिल्म उत्सवों / प्रदर्शनियों में भाग लेंगे।

विविध

अन्च्छेद - 23

इस कार्यक्रम में निर्धारित सभी प्रावधान और कार्यकलाप राजनायिक चैनलों के माध्यम से तथा मेज़बान देश के नियमों और विनियमों के अनुसार संचालित किए जाएंगे।

अनुच्छेद -24

वर्तमान कार्यक्रम के प्रावधान दोनों पक्षों को राजनयिक चैनलों के माध्यम से ऐसे अन्य करारों पर सहमत होने से वर्जित नहीं करेंगे जिन्हें दोनों पक्ष वांछनीय समझते हैं।

अनुच्छेद -25

वर्तमान कार्यक्रम के अनुसार आदान-प्रदान की सामान्य एवं वित्तीय शर्ती से संबंधित संलग्न अनुलग्नक इस कार्यक्रम का अभिन्न हिस्सा है।

अनुच्छेद -26

यह कार्यक्रम उस अंतिम टिप्पणी के प्राप्त होने की तारीख के पश्चात 30वें दिन प्रभावी होगा जिसमें दोनों पक्षों द्वारा राजनयिक चैनलों के माध्यम से एक दूसरे को यह सूचित किया गया हो कि इस कार्यक्रम के प्रभावी होने से संबंधित सभी आवश्यक राष्ट्रीय औपचारिकताएं पूरी की जा चुकी हैं।

यह कार्यक्रम 4 वर्षों की अविध के लिए प्रभावी रहेगा और 1-1 वर्ष की अविध के लिए लगातार स्वतः ही नवीकृत हो जाएगा, जब तक कि दोनों में से एक पक्ष इसकी समाप्ति से 3 माह पूर्व इसे समाप्त करने संबंधी अपने अभिप्राय की लिखित सूचना राजनियक चैनलों के माध्यम से दूसरे पक्ष को नहीं दे।

दोनों पक्ष, जब कभी आवश्यक समझें, बारी-बारी से एक संयुक्त आयोग की बैठक कर सकते हैं। दोनों पक्षों द्वारा लिखित में पारस्परिक रूप से सहमत कोई संशोधन इस करार के पैराग्राफ-1 के अंतर्गत विहित प्रक्रिया के अनुसार प्रभावी होगा।

इस कार्यक्रम पर किए गए। सभी पाठ समान रूप से प्रमाणिक हैं। व्याख्या में किसी प्रकार की भिन्नता की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

भारत गणराज्य की सरकार की ओर से

तुर्की गणराज्य की सरकार की ओर

नाम: डॉ. मईश शर्मा

पदनामः संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री

(स्वतंत्र प्रभार)

नाम: नाबी आवज्ज

पदनामः संस्कृति और पर्यटन मंत्री

सामान्य तथा वित्तीय प्रावधान

(क) व्यक्तियों/प्रतिनिधिमंडलों का आदान-प्रदान

- 1. प्रत्येक पक्ष, इस कार्यक्रम के तहत चुने गए प्रतिनिधिमंडल या व्यक्तियों के दौरे की संभावित तारीख से कम से कम तीन माह पूर्व दूसरे पक्ष को जीवन-वृत्त (बोली जाने वाली भाषाओं सहित) तथा प्रस्तावित यात्रा कार्यक्रम की सूचना देगा।
- 2. मेजबान-पक्ष, प्रस्ताव प्राप्त होने के एक महीने के भीतर इसकी स्वीकृति या अन्यथा की सूचना देगा।
- 3. मेजबान पक्ष से उसका अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात् प्रेषक पक्ष व्यक्ति/व्यक्तियों के सुनिश्चित परिवहन माध्यम और आगमन के समय के संबंध में मेजबान-पक्ष को कम से कम चार सप्ताह पहले सूचना देगा।
- 4. आमंत्रित व्यक्तियों को मेजबान पक्ष की भाषा या अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होना चाहिए।
- 5. दोनों पक्ष, एक दूसरे के देश से भेजे गए प्रतिनिधिमंडलों तथा व्यक्तियों को मेजबान देश की संस्कृति और जीवन से परिचित कराने के उद्देश्य से सुविधाएं प्रदान करेंगे।
- 6. आगन्तुक के अनपेक्षित रूप से बीमार हो जाने की स्थिति में, मेजबान पक्ष दीर्घकालिक चिकित्सा, पुरानी बीमारी, बड़ी शल्य प्रक्रियाओं, प्रोस्थेटिक डेनटिस्ट्री और ऑथॉडोंटिक्स को छोड़कर अपने सरकारी अस्पताल में नि:शुल्क चिकित्सा उपचार प्रदान करेगा।

(ख) एक माह से कम अविध के दौरे (प्रतिनिधिमण्डल सहित)

- 1) प्रेषक पक्ष कार्यक्रम स्थल तक आने-जाने के लिए अन्तराष्ट्रीय हवाई किराए के खर्च का वहन करेगा (अथवा, यदि ऐसा व्यवहार्य न हो तो अन्तराष्ट्रीय हवाई अड्डे से सबसे नजदीक शहर तक)।
- 2) मेजबान पक्ष निम्नलिखित की व्यवस्था करेगा:
 - दौरे के कार्यक्रम के अनुसार उपयुक्त स्थानीय परिवहन सहित आन्तरिक यात्रा
 - आवास की उपयुक्त निश्लक व्यवस्था
 - ठहरने की उपयुक्त निशुल्क व्यवस्था

(ग) एक महीने से अधिक अवधि के दाँरे

एक महीने से अधिक अविध के दौरों की स्थिति में दोनों पक्ष प्रत्येक मामले में पृथक रूप से वितीय शर्तों पर सहमति बनाएंगे।

(घ) मंच कला मंडलियां

- 1. मंच कला मंडिलयों के आदान-प्रदान से संबंधित प्रस्तावों को कम से कम 9 महीने पहले अग्रिम रूप में राजनियक चैनलों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा। मेजबान पक्ष ऐसे प्रस्तावों को प्राप्त करने के दो (2) महीनों के भीतर प्रस्ताव का जवाब देगा।
- 2. प्रेषक पक्ष मंच कला मंडलियों का मेजबान देश में प्रथम गन्तव्य तक तथा वापसी यात्रा लागत और उनके जरूरी साजो-सामान की परिवहन लागत का खर्च उठाएगा।
- 3. मेजबान पक्ष आने वाली मंच कला मंडलियों के भोजन एवं आवास तथा आन्तरिक यात्रा के खर्ची का वहन करेगा।
- 4. आगन्तुक के अनपेक्षित रूप से बीमार हो जाने की स्थिति में, मेजबान पक्ष दीर्घकालिक चिकित्सा, पुरानी बीमारी, बड़ी शल्य प्रक्रियाओं, प्रोस्थेटिक डेनटिस्ट्री और ऑथॉडॉटिक्स को छोड़कर अपने सरकारी अस्पताल में नि:शुल्क चिकित्सा उपचार प्रदान करेगा।
- 5. प्रेषक पक्ष कम से कम चार (4) महीने पहले मेजबान पक्ष को मंच कला मंडली, कार्यक्रमों, प्रेस सामग्री, आगमन और प्रस्थान की तारीख आदि से संबंधित जरूरी जानकारियां प्रदान करेगा।
- 6. तथापि, इन आदान-प्रदान को करने वाले सगठनों द्वारा उपर्युक्त में बदलावों के बारे में अग्रिम रूप से परस्पर सहमति के आधार पर निर्णय लिया जा सकता है।

(इ.) सामग्रियों का आदान-प्रदान और बौद्धिक सम्पदा अधिकार

दोनों पक्षों के पास अपने-अपने कार्यक्रमों में सूचना, रेडियो और टेलीविजन के क्षेत्रों में आदान-प्रदान की गई सामग्रियों का उपयोग करने का अधिकार होगा। तथापि, प्राप्तकर्ता पक्ष इसे किसी अन्य पक्ष को प्रदान नहीं करेगा। प्रषेक पक्ष आदान-प्रदान की गई सामग्रियों के परिवहन खर्चों को उठाएगा।

दोनों पक्ष अपने स्वामित्वधारकों के बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के उल्लंघन होने से बचने के लिए अपने-अपने राष्ट्रीय कानूनों तथा उन अन्तराष्ट्रीय करारों, जिनके ये पक्षकार हैं के अनुसार आदान-प्रदान की गई सामग्रियों की सुरक्षा करने का संकल्प करते हैं।

(च) प्रदर्शनियां

- प्रेषक पक्ष, मेजबान देश में उनके गंतव्य के पहले स्थान तथा मेजबान देश में प्रदर्शनी के अन्तिम स्थान से प्रेषक पक्ष के प्रथम गन्तव्य तक वापसी के लिए प्रदर्शनियों के परिवहन संबंधी व्यय का वहन करेगा।
 - 2. मेजबान पक्ष अपने क्षेत्र में अन्य स्थलों तक प्रदर्शों के परिवहन संबंधी व्यय का वहन करेगा।

- 3. मेजबान पक्ष अपने खर्च पर प्रदर्शनी लगाने, सूचीपत्र, ब्रोशर आदि तैयार करने सहित इसका प्रचार करना सुनिश्चित करेगा।
- 4. प्रेषक पक्ष अपने देश से बाहर रहने की समस्त अविध के लिए प्रदर्शनी की बीमा लागत वहन करेगा। यदि प्रेषक पक्ष के प्रदर्शों का कोई नुकसान या क्षिति होती है, तो बीमा कंपनी से क्षितिपूर्ति लेने के लिए मेजबान पक्ष प्रेषक पक्ष को प्रदर्शों के क्षितिग्रस्त होने से संबंधित सभी दस्तावेज उपलब्ध कराएगा। उपर्युक्त दस्तावेज प्राप्त करने के संबंध में होने वाला व्यय मेजबान पक्ष द्वारा वहन किया जाएगा।
- 5. मेजबान पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि प्रदर्शनी में उचित अभिरूचि दिखाई जा रही है तथा इसकी सामान्य देखभाल की जा रही है।
- 6. यदि प्रदर्शनी किसी अन्य देश में भेजी जाती है, तो परिवहन से जुड़े खर्च, प्रेषक देश के लिए इसके परिवहन हेतु प्रत्याशित खर्ची से अधिक नहीं होंगे।